(ई) संस्था गाँवों, मुहल्लों के समुचित विकास के लिए शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़कों नालों का निर्माण सुलभ शौचलय आदि बनवाने की व्यवस्था करेगी जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सके ।

(उ) संस्था विकलांगों एवं बालश्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना, बालश्रमिक, विद्यालयों का संचालन करेगी प्रशिक्षण एवं पोषाहार की आपूर्ति तथा अन्य गतिविधियों का संचलन करेगी ।

(ऊ) संस्था खेल-कूद के अन्तर्गत क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिन्टन, हॉकी आदि खेलों का आयोजन समय समय पर संचालित करेगी जिससे कि नवयुवकों में खेल की भावना जागृत हो सकें और अपने राज्य में ही खेलों की दुनियाँ में नाम रौशन कर सकें । संस्था समाज में व्याप्त अराजकता, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि जघन्य अपराध पर रोक लगाने का हर संभव प्रयास करेगी ।

11.4.25
मिलान किया

सत्यापित प्रति
वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक
मध निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना

(२)

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता / पति का नाम, पता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है। वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंधन का भार सौपा गया है।

क्रमांक	नाम, पिता / पति का नाम	पता	पेशा	पद
1	श्री अमर नाथ पाल पिता - स्व0 लक्ष्मीनारायण प्रसाद	ग्राम - बड़ी खगौल पो0 + थाना - खगौल जिला - पटना	समाज सेवा	अध्यक्ष अमरनाथ पाल
2	श्री पवन कुमार पिता - श्री राजनन्दन प्रसाद	ग्राम - शान्तिनगर मनेर पो0 + थाना - मनेर, जिला - पटना	समाज सेवा	सचिव Pawan Kumar
3	सुश्री गीता कुमारी पिता - श्री छोटे लाल मिस्त्री	ग्राम - शान्तिनगर मनेर पो0 + थाना - मनेर, जिला - पटना	समाजसेवा	उपसचिव Geeta Kumari
4	श्री जयलाल राय पिता - श्री आनन्दी प्रसाद	ग्राम - शान्तिनगर मनेर पो0 + थाना - मनेर, जिला - पटना	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष Jaylal Ray
5	श्री रमेश कुमार पिता - स्व0 हरिनारायण प्रसाद	ग्राम - बड़ी खगौल पो0 + थाना - खगौल जिला - पटना	समाजसेवा	सदस्य Ramesh Kumar
6	सुश्री वंदना कुमारी पिता - श्री छठ्ठु राय	ग्राम - बड़ी खगौल पो0 + थाना - खगौल जिला - पटना	समाजसेवा	सदस्य Bandanakumari
7	श्री राम कृपाल कुमार पिता - श्री आनन्दी राय	ग्राम - शान्तिनगर मनेर पो0 + थाना - मनेर, जिला - पटना	समाजसेवा	सदस्य राम कृपाल

मिलान किया 11.4.21

सत्यापित प्रति

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान के स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निबंधान अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधान के आकांक्षी हैं - ...पिता/ पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है

क्रमांक	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1	श्री अमर नाथ पाल पिता- स्व0 लक्ष्मीनारायण प्रसाद	ग्राम- बड़ी खगौल पो0+थाना- खगौल जिला- पटना	समाज सेवा	अमर नाथ पाल
2	श्री पवन कुमार पिता- श्री राजनन्दन प्रसाद	ग्राम- शान्तिनगर मनेर पो0+थाना- मनेर, जिला- पटना	समाज सेवा	Pawan kumar.
3	सुश्री गीता कुमारी पिता- श्री छोटे लाल मिस्त्री	ग्राम- शान्तिनगर मनेर पो0+थाना- मनेर, जिला- पटना	समाजसेवा	Geeta Kumari
4	श्री जयलाल राय पिता- श्री आनन्दी प्रसाद	ग्राम- शान्तिनगर मनेर पो0+थाना- मनेर, जिला- पटना	समाजसेवा	Jaylal Ray.
5	श्री रमेश कुमार पिता- स्व0 हरिनारायण प्रसाद	ग्राम- बड़ी खगौल पो0+थाना- खगौल जिला- पटना	समाजसेवा	Ramesh Kumar
6	सुश्री वंदना कुमारी पिता- श्री छठ्ठु राय	ग्राम- बड़ी खगौल पो0+थाना- खगौल जिला- पटना	समाजसेवा	Bandana Kumari
7	श्री राम कृपाल कुमार पिता- श्री आनन्दी राय	ग्राम- शान्तिनगर मनेर पो0+थाना- मनेर, जिला- पटना	समाजसेवा	राम कृपाल पाल

11.4.25
मिलान किया

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

सत्यापित प्रति
11/04/25

हस्ताक्षर -
नाम -
पदनाम -
पता -

22/04/25

प्रशाखा पदाधिकारी
लोक स्वा० अभि० विभाग
बिहार, पटना

Scanned with OKEN Scanner

'युवा संघ शिक्षा समिति'

की

नियमावली

1 **परिभाषा**

(क) संस्था से अभिप्राय है	:-	'युवा संघ शिक्षा समिति'
(ख) समिति से अभिप्राय है	:-	संस्था की कार्यकारिणी समिति
(ग) पदाधिकारी से अभिप्राय है	:-	अध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष
(घ) वर्ष से अभिप्राय है	:-	01 अप्रील से 31 मार्च तक
(ङ) एक्ट से अभिप्राय है	:-	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860

2. **सदस्यता**

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे और जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकेंगे सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी । प्रत्येक सदस्य को 51/- रुपया प्रवेश शुल्क एवं 101/- रुपया मासिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

3. **सदस्यता से विमुक्ति** -

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

(ख) पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

(ग) न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों में सजा पाने पर ।

(घ) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।

(ङ) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।

(च) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

(छ) संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध आचरण करने पर

4 **कार्यकारिणी समिति का गठन :-**

(क) कार्यकारिणी समिति कम से कम 7 सदस्यों की होगी

(ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।

(ग) समिति का कार्यकाल पाँच वर्षो की होगी । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।

(घ) अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य को मनोनित कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

5 **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-**

(क) संस्था के चल या अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

(ख) संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

(ग) शाखा एवं उप शाखा का गठन करना ।

(घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

मिलान किया 11-4-95

Scanned with OKEN Scanner

6 **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष :-

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

(ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

(ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

(घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव :-

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

(ख) संस्था की ओर से पत्रचार करना ।

(ग) पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

(घ) आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

(ड.) संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

(च) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

(छ) कार्यकारिणी समिति की राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना

(ज) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

उपसचिव

सचिव के अनुपस्थिति में सचिव के सारे कार्यो एवं दायित्वों का सम्पादन संस्थान के हीत में करना ।

कोषाध्यक्ष :-

(क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और अध्यक्ष के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

(ख) संस्था के सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना ।

(ग) संस्था के कोष किसी निर्धारित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

मिलान किया

7 **आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

(ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

(ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

(घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8 **प्रार्थित बैठक**

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति करके माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का उल्लेख होना चाहिए । अगर सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नही बुलाते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते है ।

Scanned with OKEN Scanner

9 **बैठक की सूचना** :-

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना- 7 दिन पूर्व दी जाएगी

(ख) आमसभा के साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी

(ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जाएगी ।

(घ) बैठक की सूचना डाक पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जाएगी ।

10. **बैठक :-**

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

(ख) आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

(ग) अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

11. **कोरम** :-

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

12. **आय का श्रोत** :-

(क) प्रवेश शुल्क एवं मासिक सदस्यता शुल्क ।

(ख) सरकारी अनुदान ।

(ग) विशेष शुल्क एवं चन्दा से ।

(घ) उत्पादित वस्तुओं की खरीद बिक्री से ।

13. ***निधि का अंकेक्षण :-***

(क) संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जाएगा ।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक, बिहार अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । इस अंकेक्षण हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

मिलान किया

14. **कोष का संचालन :-**

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा । जिसकी निकासी सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

15. **पंजी का निरीक्षण :-**

संस्था का सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

16. **नियमावली में संशोधान** :-

नियमावली में संशोधान आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

17. **कानूनी कार्रवाई** :-

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के नाम से होगी

सत्यापित प्रति

वास्ते, निबंधन महानिरीक्षक
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना

18 **विघटन :-**

(क) संस्था का विघटन अगर किसी कारणवश करना पड़े तो आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

(ख) विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पति बचेगी वह किसी अन्य सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से किसी समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जाएगी ।

(ग) विघटन के संबंध में यह संस्था निबंधन अधिनियम 21/1860 की धारा 13 का पूर्णतः अनुपालन करेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली हू-ब-हू प्रतिलिपि है ।

11.4.25
मिलान किया

अध्यक्ष — अमर नाथ पाल

कोषाध्यक्ष — Jaylal Ray

सचिव

सत्यापित प्रति
11/04/25

...tion Excise
Registration Department,
Government of Bihar

INDIA NON JUDICIAL

Other

First Party Name *	: Not Applicable
Second Party Name *	: YUVA SANGH SHIKSHA SAMITI
Purchased By *	: YUVA SANGH SHIKSHA SAMITI
Certificate Number	: BR038156541743667237907
Consideration Price	: ₹0.00/-
Stamp Duty Paid	: ₹300.00/-
Registration Fee & Other Fees	: ₹0.00/-
LLR & Proc Fee	: ₹0.00/-
Miscellaneous Fees	: ₹0.00/-
Discore SC	: ₹0.00/-
Total Amount	: ₹300.00/- (Three Hundred)

—— This stamp paper will only be valid if embossed below with special RED ink impression ——

Phone No
Sold To/Issued To
YUVA SANGH SHIKSHA S
For Whom/ID Proof
YUVA SANGH SHIKSHA S

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
D.S.R OFFICE
PATNA SADAR
800001
BIHAR
बिहार
भारतीय गैर न्यायिक

₹ 0000300/-
ZERO ZERO ZERO ZERO THREE ZERO ZERO
Other

सत्यापित प्रति
11/04/25
[illegible]
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना